

अभिज्ञेय उपस्थापित।

(1.) मिश्रीलाल पासवान पिता स्व० गोरी राम पासवान एवं (2.) अशोक कुमार पासवान पिता स्व० धनेश्वर राम, निवास स्थान हुडहुड पंडितजी मुहल्ला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटनागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुडहुड, खाना संख्या-147, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-2016 रकबा 0.0266 एकड़ (2.66 हिसामिल) (दो दशमलव छः छः हिसामिल) भूमि दिलीप कुमार पिता स्व० भोला रजवार, निवास स्थान ग्राम-मरदू सोली, पोस्ट-हरली, खाना-बड़कागँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि खिद्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन सनर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-384/2023 प्राप्त कर कार्यालय पत्रांक 2108/रा० दिनांक 17.06.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित पत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1665 दिनांक 23.08.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चैक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हाशिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत कल्प दुसाध वगै० हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकबा 18.09 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकबा 12.34 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-711 पर ऑनलाईन में कैलाश दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। आवेदक संख्या-01 के छरदादा एवं आवेदक संख्या-02 के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक धरेलु बेंद्वारा के अनुसार अपने हिरसे की भूमि खिद्री कर रहे हैं। विक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकबा 12.3434 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि विक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/यन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.I.R Act Section 41 से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विच्छेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) मिथीलाल पासवान पिता स्व० गोरी राम पासवान एवं (2.) अशोक कुमार पासवान पिता स्व० घनेश्वर राम, निवास स्थान कुडकुड पंडितजी मुहल्ला, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-कुडकुड, थाना संख्या-147, खाला संख्या-05, प्लॉट संख्या-2016 रकबा 0.0266 एकड़ (2.66 डिसिमिल) (दो दशमलव छः छः डिसिमिल) भूमि दिलीप कुमार पिता स्व० भोला एजवर, निवास स्थान थाना-मरदू सोती, पोस्ट-हरली, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहता, हजारीबाग।

अपर समाहता, हजारीबाग।